न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –04/2014 (अपील)

1. देवलाल आत्मज गोपाल जाति तेली, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ——अपीलान्ट.

बनाम

1. सुभाष यादव पुत्र विभूति यादव जाति अहीर, निवासी रणजीत कॉलोनी सोगरिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ——रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 617 निर्णय दिनांक 30.12.2013 ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

प्रकरण संख्या–29/2014 (अपील)

1. देवलाल आत्मज गोपाल जाति तेली, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहम्मद शफी पुत्र रूस्तम अली, जाति मुसलमान, निवासी 14–बी लेक व्यू कॉलोनी न्यू आकाशवाणी कोटा (राज0)
2. अशोक कुमार उदलक्खा पुत्र श्याम लाल उदलक्खा जाति पंजाबी, निवासी मकाननम्बर 4 रेल्वे सोसायटी मालारोड कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 620 निर्णय दिनांक 09.01.2014 ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा

Scanned by CamScanner

उपस्थिति

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

उपरोक्त दौनों अपील प्रकरणों में एक ही अपीलांट होने एवं एक ही ग्राम सोगरिया के ख0नं0 भी एक होने से दौनों अपीलों का निर्णय एकसाथ किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक– 31.12.019

1. प्रथम अपील सं0 4/2014 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा दिनांक 30.12.2013 से आदेश पारित किया कि ''रिपोर्ट पटवारी व आई0एल0आर0 अनुसार नामा0 सं0 617 स्वीकृत किया गया ।''

2. इसी प्रकार द्वितीय अपील सं0 29/2014 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 9.1.2014 नामा0 सं0 620 ग्राम सोगरिया में आदेश पारित किया कि ''रिपोर्ट पटवारी/आई0एल0आर0 अनुसार नामा0 स्वीकार है, यदि किसी न्यायालय का स्थगन हो तो तद्नुसार पालना करें''

3. उक्त आदेश दिनांक 30.12.2013 व 9.1.2014 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 20.01.2014 व 30.1.2014 को पेश कर कथन किया है कि ग्राम सोगरिया स्थित खसरा नम्बर 156 व 157/609 अपीलांट के पिता के खाते की भूमि थी जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा सढ़यंत्रपूर्वक तरीके से गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट के पिता के खाते में दर्ज करदी गई जो वशीयत के आधार पर विभूति के मृत्यु उपरान्त जरिये नामा0 सं0 617 स्वीकृत किया जाकर उक्त भूमि सुभाष यादव के नाम दर्ज कर दी गई, तत्पश्चात सुभाष यादव द्वारा उक्त भूमि को अपील सं0 29/2014 के रेस्पोडेंट को दिनांक 30.12.2013 को ही विक्रय कर दिया जिसका नामा0 सं0 620 दिनांक 9.1.2014 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि सम्वत 2016 के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 109 की 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी जो अपीलांट के पिता के खाते में दर्ज थी तथा सम्वत 2016 के पश्चात हुए सेटलमेंन्ट के पश्चात उक्त भूमि के ख0नं0 112/358, 112/403, 112/355, 112/356, 112/357, 114 कायम किये गये, उनमें से खसरा नम्बर 112/355, 112/356, 112/357, तथा 114 कुल चार किता की 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि अवाप्त कर रेल्वे कारखाने के नाम दर्ज करदी गई तथा शेष भूमि अपीलान्ट के पिता के खाते में दर्ज रही । उसके पश्चात सम्वत 2038 में जब पुनः सेटलमेंट हुआ तो शेष भूमि के पुनः नम्बर

जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

बदलकर नये खसरा नम्बर 156, खसरा नम्बर 157/609 ख0नं0 162 व खसरा नम्बर 163 कायम किये जिसमें से ख0नं0 156 की 0.05 हे0 तथा ख0नं0 157/609 की 0.43 हे0 भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पो0 के पिता विभूति के खाते में दर्ज करदी गई जबकि उक्त भूमि मेंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, उक्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद गत 17–18 वर्षो से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पर विचाराधीन है तथा उक्त वाद में न्यायालय राजस्व प्राधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 27.2.1996 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित कर वादग्रस्त भूमि को रहन, बेय, विक्रय , खुर्दबुर्द तथा किसी भी प्रकार से परिवर्तित न करने के सम्बन्ध में पाबन्द कर रखा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2013 नामा0 सं0 617 व निर्णय दिनांक 9.1.2014 नामा0 सं0 620 निरस्त फरमाया जावें ।

4. उपरोक्तानुसार दौनों अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

5. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोगरिया स्थित खसरा नम्बर 156 व 157/609 अपीलांट के पिता के खाते की भूमि थी जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा सढ़यंत्रपूर्वक तरीके से गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट के पिता के खाते में दर्ज कर दी गई जो वशीयत के आधार पर विभूति की मृत्यु उपरान्त जरिये नामा0 सं0 617 स्वीकृत किया जाकर उक्त भूमि सुभाष यादव के नाम दर्ज कर दी गई, तत्पश्चात सुभाष यादव द्वारा उक्त भूमि को अपील सं0 29/2014 के रेस्पोडेंट को दिनांक 30.12.2013 को ही विक्रय कर दिया जिसका नामा0 सं0 620 दिनांक 9.1.2014 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि सम्वत 2016 के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 109 की 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी जो अपीलांट के पिता के खाते में दर्ज थी तथा सम्वत 2016 के पश्चात हुए सेटलमेंन्ट के पश्चात उक्त भूमि के ख0नं0 112/358, 112/403, 112/355, 112/356, 112/357, 114 कायम किये गये, उनमें से खसरा नम्बर 112/355, 112/356, 112/357, तथा 114 कुल चार किता की 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि अवाप्त कर रेल्वे कारखाने के नाम दर्ज करदी गई तथा शेष भूमि अपीलान्ट के पिता के खाते में दर्ज रही । उसके पश्चात सम्वत 2038 में जब पुनः सेटलमेंट हुआ तो शेष भूमि के पुनः नम्बर बदलकर नये खसरा नम्बर 156 , खसरा नम्बर 157/609 ख0नं0 162 व खसरा नम्बर 163 कायम किये जिसमें से ख0नं0 156 की 0.05 हे0 तथा ख0नं0 157/609 की 0.43 हे0 भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पो0 के पिता विभूति के खाते में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि मेंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, उक्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद गत 17–18 वर्षो से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पर विचाराधीन है तथा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

उक्त वाद में न्यायालय राजस्व प्राधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 27.2.1996 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित कर वादग्रस्त भूमि को रहन, बेय, विक्रय , खुर्द बुर्द तथा किसी भी प्रकार से परिवर्तित न करने के सम्बन्ध में पाबन्द कर रखा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2013 नामा0 सं0 617 व निर्णय दिनांक 9.1.2014 नामा0 सं0 620 निरस्त फरमाया जावें ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि रेस्पोडेन्ट सुभाष यादव के पिता विभूति के नाम दर्ज भूमि वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 30.12.2013 से जरिये नामा0 संख्या 617 से वशीयत ग्रहित पुत्र के नाम की गई, जो एक सतत प्रकिया है उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । साथ ही जब भूमि सुभाष यादव के नाम दर्ज हो गई तो खातेदार होने के नाते सुभाष यादव द्वारा उक्त भूमि को विक्रय का अधिकार होने से अपील सं0 29/2014 के रेस्पोडेन्ट मोहम्मद शफी व अशोक कुमार उदलक्खा को विक्रय की गई जिसका नामा0 सं0 620 आदेश दिनांक 9.1.2014 से स्वीकृत किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दौनों नामान्तकरण विधिक एवं सतत प्रकिया के तहत स्वीकृत किये गये है, जिनमें कोई खामी नहीं है । अतः उपरोक्त दौनों ही अपीलें अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने अपील सं0 4/2014 नामा0 सं0 617 एवं अपील सं0 29/2014 नामा0 सं0 620 को consolidate किया जाकर उभयपक्ष की बहस एकसाथ सुनी गई एवं पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया । ग्राम सोगरिया की उक्त विवादित भूमि ख0नं0 156 व 157/609 रकबा 0.48 हे0 विभूति के नाम खातेदारी में दर्ज थी, जिसकी वसीयत उनके पुत्र सुभाष यादव के नाम की जाने से विभूति के मृत्यु के बाद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 617 दिनांक 30.12.2013 से उक्त नामा0 स्वीकृत किया जाकर उक्त भूमि वसीयतग्रहिता सुभाष यादव के नाम दर्ज कर दी गई जो एक सतत प्रकिया के तहत होने से इसमें हम कोई दोष नहीं मानते है किन्तु इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट सुभाष यादव द्वारा उक्त विवादित भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2013 से बेचान कर दिया जिसका नामा0 सं0 620 दिनांक 9.1.2014 स्वीकृत किया गया, जिससे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 27.2.1996 की अवहेलना हुई है तथा उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद विचाराधीन होते हुए भी भूमि का बेचान किया जाना अपर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फिर भी उक्त विक्रय पत्र का नामा0 सं0 620 आदेश दिनांक 9.1.2014 से स्वीकृत कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

8. अद्योपान्त हम यह पाते है कि अपील सं0 4/2014में नामा0 सं0 617 दिनांक 30.12.2013 खातेदार विभूति के बाद वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट सुभाष यादव के हक में स्वीकार किया गया है जो एक सतत प्रकिया के तहत होने से हम कोई दोष नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाकर नामा0 सं0 617 आदेष दिनांक 30.12.2013 यथावत रखा जाता है । किन्तु अपील सं0 29/2014 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय एसडीओ कोटा में वाद विचााराधीन होते हुए तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का स्थगन होते हुए भी विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2013 का नामा0 सं0 620 दिनांक 9.1.2014 स्वीकृत किया गया है जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्व होने से निरस्त किया जाता है । तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन होने से हक व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में ही होगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner